श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी–4 कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110016

दिनांक 5 अक्टूबर 2015 को आयोजित विद्वत्परिषद् की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की विद्वत्परिषद् की चतुर्थ बैठक दिनांक 5 अक्टूबर 2015 को पूर्वाह्ण 11:00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए ।

1.	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. युगल किशोर मिश्र, प्रोफेसर	सदस्य
3.	डॉ. अंजली जयपुरिया	सदस्या
4.	प्रो. भागीरथि नन्द	सदस्य
5.	प्रो. हरिहर त्रिवेदी	सदस्य
6.	प्रो. महेश प्रसाद सिलौड़ी	सदस्य
7.	प्रो. रमेश प्रसाद पाठक	सदस्य
8.	प्रो. कमला भारद्वाज	सदस्या
9.	प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
10.	प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित	सदस्य
16.	डॉ. जयकुमार एन. उपाध्ये	सदस्य
17.	प्रो. शुद्धानन्द पाठक	सदस्य
18.	प्रो. वीरसागर जैन	सदस्य
19.	प्रो. केदार प्रसाद परोहा	सदस्य
20.	डॉ. हरेराम त्रिपाठी	सदस्य
21.	डॉ. यशवीर सिंह	सदस्य
22.	डॉ. बिहारी लाल शर्मा	सदस्य
23.	प्रो. नागेन्द्र झा	सदस्य
24.	प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	सदस्य

कल्पना सिंह

रमेश

25.	प्रो. एस.एन. रमामणि	सदस्य
26.	प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	सदस्य
27.	प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य
28.	डॉ. प्रगति गिहार	सदस्य
29.	डॉ. मीनू कश्यप	सदस्या
30.	डॉ. शीतला प्रसाद शुक्ला	सदस्य
31.	श्रीमती कल्पना सिंह	सचिव
32.	डॉ. शिवदत्त त्रिपाठी	विशेष आमंत्रित सदस्य

कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रो. हरिहर त्रिवेदी के मंगलाचरण के साथ ही बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई । कुलपति महोदय द्वारा सहायक कुलसचिव (परीक्षा एवं चयन) को यह निर्देश दिया गया कि वह विद्वत्परिषद की चतुर्थ बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची के प्रत्येक मद को प्रस्तुत करें जिससे उपस्थित सदस्य उस पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त अपना निर्णय प्रदान करें। तदनुसार प्रत्येक मद को प्रस्तुत किया गया और गहन विचार-विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यक्रम सं.४.१ **विद्वत्परिषद् की दिनांक 21.4.2015 को सम्पन्न हुई तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।**

विद्वत्परिषद की दिनांक 21.4.2015 को सम्पन्न हुई तृतीय बैठक में लिए गए निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम सं. ४.२ **विद्वत्परिषद की दिनांक 21.4.2015 को सम्पन्न हुई तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन ।**

विद्वत्परिषद की दिनांक 21.4.2015 को सम्पन्न हुई तृतीय बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदन की पुष्टि की गई ।

मद सं ३.१० के संबंध में यह निर्णय लिया कि विभिन्न विषयों में आचार्य एवं विशिष्टाचार्य का नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु समस्त संकाय प्रमुखों

कल्पना सिंह

रमेश/

की एक बैठक आयोजित कर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारूप तैयार किया जाए। कुलपति महोदय द्वारा विद्वत्परिषद के संज्ञान में यह लाया गया कि शास्त्री कक्षा हेतु सभी विभागाध्यक्षों द्वारा नवीन समय सारिणी तैयार की जा चुकी है । शास्त्री कक्षा की समय-सारिणी को दृष्टि में रखते हुए आचार्य एवं विशिष्टाचार्य कक्षा की भी समय-सारिणी तैयार की जाए जिससे नवीन समय सारिणी के अनुरूप शास्त्री, आचार्य एवं विशिष्टाचार्य की कक्षाओं का संचालन किया जा सके ।

मद सं ३.१४ के संबंध में यह भी निर्णय लिया कि प्रत्येक विभाग के शोध छात्रों के कार्य की समीक्षा हेतु, संबंधित विभाग द्वारा शोध समीक्षा समिति की बैठक वर्ष में दो बार - जनवरी एवं जुलाई माह में संपन्न की जाए और वार्षिक शैक्षणिक कलैण्डर में दर्शाया जाए ।

मद सं. ३.१९ के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त विभागों को सूचित किया जाए कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यशाला/संगोष्ठी इत्यादि को संपन्न करवाने हेतु ली गई अग्रिम धनराशि का समायोजन करते समय यह सुनिश्ति करें कि उनके द्वारा संपन्न कार्यशाला/संगोष्ठी की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण एवं उपलब्धियाँ, चलचित्र के साथ विद्यापीठ के यू.ट्यूब पर अपलोड करने हेतु संगणक विभाग को प्रेषित किया जा चुका है ।

मद सं. ३.२२ के संबंध में प्रो. युगल किशोर मिश्र, प्रोफेसर-संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा विद्यापीठ को प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद, बैंगलोर द्वारा, द्वितीय चरण में आगामी पाँच वर्षों के लिए 'ए' ग्रेड प्रदान किए जाने पर बधाई दी गई जिसका करतल ध्वनि से सभी सदस्यों ने स्वागत किया ।

कल्पना सिंह

रमेश

विद्वत्परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ में खेलकूद एवं क्रीड़ा इत्यादि के संयोजन एवं देखरेख के लिए डा. यशवीर सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति - श्री मनोज कुमार मीणा का सहयोग करेगी ।

मद सं. ३.२६ (१३) के संबंध में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य पाठ्यक्रमों के विभागों की तरह ''आधुनिक विषय एवं भाषा'' नामक एक स्वतंत्र विभाग स्थापित करने के लिए संबंधित संकाय प्रमुख, आधुनिक विषयों के अध्यापकों की बैठक आयोजित करवाकर नियमानुकूल व्यवस्थित एक प्रस्ताव कुलपति महोदय को प्रेषित करें ।

डॉ. अंजली जयपुरिया को विद्वत्परिषद की सदस्या नामित किए जाने के कुलपति महोदय के निर्णय की पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम सं. ४.३ **शैक्षणिक सत्र 2015-16में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की सूची एवं पाठ्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित विभिन्न विभागों की समय सारिणी सूचनार्थ।**

शैक्षणिक सत्र 2015-16 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की सूची एवं पाठ्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त समय सारिणी की पुष्टि की गई ।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समस्त विभागों द्वारा तैयार समय सारिणी को क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप संशोधित कर, नवीन समय सारिणी के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन किया जाए । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त विभागाध्यक्ष/अध्यापक अपने विभाग/विषय की समय सारिणी, कक्षा संख्या छात्रों के सूचनार्थ अपनी कक्षा की निर्धारित पट्टिका पर चस्पा करें ।

कार्यक्रम सं ४.४ **आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के पुनर्गठन की पुष्टि एवं प्रकोष्ठ की विशेष बैठक दिनांक** 3.9.2015 **के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

कल्पना सिंह

रमेश।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के दिनांक 3.9.2015 के कार्यवृत्त की संख्या 2 एवं 4 के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को सृजित करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र प्रेषित किया जाए एवं कुलसचिव महोदय द्वारा आयोग से त्वरित कार्यवाही हेतु सक्रिय प्रयास किया जाए ।

क्रम सं 5 के संबंध में विद्यापीठ में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए संस्कृत अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए समस्त संकाय प्रमुखों की एक समिति गठित की जाए । यह समिति संस्कृत अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने से संबंधित समस्त पहलुओं पर विचार कर अपना प्रस्ताव कुलपति महोदय को स्वीकृतिएवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी । अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत केन्द्र की स्थापना के साथ उसके सुचारू संचालन हेतु आवश्यक पदों का सृजन करने के विचार की पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम सं ४.५ शैक्षणिक एवं अन्य संदर्भों में समय-समय पर आयोजित बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि।

शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु संकाय प्रमुखों एवं अधिकारियों की समय-समय पर संपन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों की विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई । इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न बैठकों में संस्तुत एवं अवशिष्ट शैक्षणिक क्रियाकलापों से संबंधित नीतिगत सुझावों को क्रियान्वित किया जाए और वित्तीय तथा प्रशासनिक संस्तुतियां, वित्त समिति और प्रबन्ध मण्डल को विचारार्थ एवं आवश्यक निर्णयार्थ प्रेषित की जाएं ।

कल्पना सिंह

रमेश

कार्यक्रम सं. ४.६ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्या एफ-3/2015 (एससीटी) दिनांक 31-08-2015 के अनुसार प्रेषित निर्णय को लागू करने के संबंध में विचार ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र संख्या 6-3-2015 (एससीटी) दिनांक 31-8-2015के द्वारा यह सूचित किया गया है कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा श्री सेहिन एस. मामले में निर्णय देते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि यदि कोई छात्र 60 प्रतिशत स्थायी विकलांगता से प्रभावित है तो उसे परीक्षा में लिपिक (Scribe) के साथ उपस्थित होकर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में यह निर्देश दिया गया है कि न्यायालय के उक्त आदेश का कठोरतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए और आयोग को सूचित किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित संबंधित निर्देश को विद्यापीठ में लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए विद्वत्परिषद द्वारा सर्वसम्मति से संबंधित प्रस्ताव की पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम सं ४.७ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1/15/2015 (सीपीपी-II) दिनांक 17-08-2015 के अनुसार उपाधियों की समकक्षता के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को लागू करने के सम्बन्ध में विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1/15/2015 (सीपीपी-II) दिनांक 17-08-2015 के अनुसार यह सूचित किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम उपाधि के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षण मानकों से सबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 1985के अनुसार 4 जून 1986 से पहले स्नातक स्तर की उपाधि प्राप्त की

कल्पना सिंह

रमेश

गई हो, उक्त उपाधिधारक को पृथक से 1 वर्षीय ब्रिज पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है तथा उपाधिधारक को उच्च शिक्षा एवं रोजगार के लिये स्नातक के समकक्ष माना जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित उक्त निर्णय को विद्यापीठ में लागू करने के लिए विद्वत्परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम सं. ४.८ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुपालन में शास्त्री कक्षाओं के लिये मुद्रित पाठ्यक्रम की पुष्टि।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुपालन में विद्यापीठ के विभिन्न विभागों के अध्ययन मण्डल की बैठकें आहूत की गई थीं तदनंतर विद्वत् परिषद की तृतीय बैठक में उनकी पुष्टि की जा चुकी है । विद्वत्परिषद द्वारा लिए गए निर्णयानुसार एक त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर, शास्त्री के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की संरचना को मानकीकृत करते हुए कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । समिति द्वारा आवश्यक परिशोधन करने के उपरान्त कुलपति महोदय के आदेशानुसार शास्त्री पाठ्यक्रमों को मुद्रित करवाया जा चुका है और शैक्षणिक सत्र 2015-16 में शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रविष्ट समस्त छात्रों को पाठ्यक्रम की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। समस्त अध्यापकों को भी पाठ्यक्रम की प्रति प्रेषित की जा चुकी है । आचार्य एवं विशिष्टाचार्य के पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण, संशोधन एवं परिशोधन के लिए सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे पाठ्यक्रमों के परिशोधन एवं नवीनीकरण के लिए अपने-अपने विभाग के अध्ययन-मण्डल की बैठकें आहूत करें और मद सं. 4.2 में गठित समिति द्वारा तैयार किये जाने वाले प्रारूप के अनुरूप आचार्य एवं विशिष्टाचार्य का पाठ्यक्रम बनाकर कुलपति महोदय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। तत्पश्चात नवीन पाठ्यक्रम को मुद्रित

कल्पना सिंह

रमेश

करवाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित पाठ्यक्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और उसका प्रकाशन किया जाय । विद्यावारिधि के संशोधित पाठ्यक्रम की पुष्टि की गई और उसे प्रकाशित करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रो. भागीरथि नन्द की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विद्यावारिधि एवं विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम का परिशोधन किया गया है तथा विभिन्न विभागों में विशिष्टाचार्य के प्रवेश हेतु निर्धारित स्थानों की संख्या में भी संशोधन की संस्तुति की गई है । साहित्य, ज्योतिष और व्याकरण विभाग में 25-25 स्थान और उन विषयों में प्रवेश के लिए संस्तुत संस्थानों को विद्वत् परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । आगामी शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ-साथ साहित्य, ज्योतिष और व्याकरण विभाग में बढ़ी हुई सीटों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा । कुलपति महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक विषय में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थानों में वृद्धि की जा सकती है ।

कार्यक्रम सं ४.९ विद्यावारिधि की उपाधि हेतु योग्य घोषित शोध छात्रों को विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने कीस्वीकृति ।

विद्यापीठ के विभिन्नविभागोंमें शोध छात्र के रूप में पंजीकृत शोध छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध सम्बन्धी विनियम, 2009 के आलोक में प्रस्तुत शोधप्रबन्ध को कुलपति महोदय के आदेशानुसार दो बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकित कराया गया और नियमानुसार उनकी वाक् परीक्षा सम्पन्न कराई गई । वाक् परीक्षा प्रतिवेदन कुलपति द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त छात्रों को अस्थायी प्रमाण पत्र निर्गतकिए जा चुके हैं।निम्नलिखित शोध छात्रों की वाक् परीक्षामई 2015 सेसितम्बर, 2015 की अवधि में सम्पन्न कराई गयी है:-

1. श्रीसंजय कुमारचौबे, साहित्य
2. श्रीप्रवेशव्यास, ज्योतिष

कल्पना सिंह

रमेश

3. श्रीनिर्जेश, धर्मशास्त्र
4. श्रीराजेन्द्रकुमार शर्मा, ज्योतिष
5. कुमारीसपना शाक्य, शिक्षाशास्त्र
6. कुमारीगीता, शिक्षाशास्त्र
7. श्री जीवन कुमारभट्टराई, साहित्य
8. श्रीविवेकानन्दभट्ट, साहित्य
9. कुमारीपूजा शर्मा, विशिष्टाद्वैतवेदान्त
10. श्रीशिवदत्तआर्य, शिक्षाशास्त्र
11. श्रीसुरेश शर्मा, ज्योतिष
12. श्रीईश्वर सिंह, साहित्य
13. श्रीमती सविता राय, शिक्षाशास्त्र
14. श्री दीपक कुमार द्विवेदी, न्याय वैशेषिक

विद्वत्परिषद द्वारा उपरोक्त क्रम सं 1 से 14 तक विद्यावारिधि की उपाधि हेतु योग्य घोषित शोध छात्रों को विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम सं ४.१० राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर, राजस्थान के पत्र सं. एन.आर.सी/एन.सी.टी.ई./डी.एच-३०९/२०१५/११३९८८ दिनांक ६ जून २०१५ के अनुसार शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में ५० सीटों (एक यूनिट) की स्वीकृति की पुष्टि ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर, राजस्थान के पत्र सं. एन.आर.सी/एन.सी.टी.ई./डी.एच-309/2015/113988 दिनांक 6 जून 2015 के अनुसार शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में 50 सीटों (एक यूनिट) की स्वीकृति प्रदान की गई है । शैक्षणिक सत्र 2015-16 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है ।

कल्पना सिंह

रमेश

विद्वत्परिषद द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर, राजस्थान से प्राप्त पत्र की पुष्टि की गई और सत्र 2015-16 से शिक्षाचार्य में प्रवेश हेतु 50 स्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम सं. ४.११ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर, राजस्थान के पत्र सं. एन.आर.सी/एन.सी.टी.ई./डी.एच-65/2015/120/30 दिनांक ५ अगस्त 2015 के अनुसार शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में 200 सीटों (चार यूनिट) की स्वीकृति की पुष्टि.।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर, राजस्थान के पत्र सं. एन.आर.सी/एन.सी.टी.ई./डी.एच-65/2015/120/30 दिनांक 5अगस्त 2015 के अनुसार शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में 200 सीटों (चार यूनिट) की स्वीकृति प्रदान की गई है । शैक्षणिक सत्र 2015-16 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है ।

विद्वत्परिषद द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर, राजस्थान से प्राप्त पत्र की पुष्टि की गई और शिक्षाशास्त्री में प्रवेश हेतु 200 स्थानों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम सं. ४.१२ श्री कुणाल भारद्वाज एवं श्री कमल कुमार भारद्वाज, आचार्य प्रथम के छात्रों द्वारा कुलपति महोदय को प्रेषित पत्र दिनांक 29.7.2015 के अनुसार आचार्य पाठ्यक्रम में हिन्दी विषय को सम्मिलित करने पर विचार।

श्री कुणाल भारद्वाज एवं श्री कमल कुमार भारद्वाज, आचार्य प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा कुलपति महोदय को दिनांक 29.7.2015 प्रेषित पत्र द्वारा यह निवेदन किया गया कि विद्यापीठ में आचार्य पाठ्यक्रम में हिन्दी विषय को सम्मिलित किया जाए क्योंकि स्नातक स्तर हिन्दी विषय होने से छात्र टी.जी.टी. एवं पी.जी.टी. स्तर पर आचार्य पाठ्यक्रम में हिन्दी का स्थान न होने के

कल्पना सिंह

रमेशा

कारण अध्यापन के लिए वांछित रह जाते हैं । विद्यापीठ में हिन्दी का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं है और न ही स्नातकोत्तर उपाधि के लिए कोई भाषा विभाग है । इस संबंध में विद्वत्परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ के उद्देश्यों एवं परंपरागत संस्कृत शास्त्रों के संरक्षण के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन में उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कार्यक्रम सं. ४.१३ अध्यक्ष, काउंसिल ऑफ इंडियन ओपन स्कूल एजुकेशन (अधिनियम 1860 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्था, भारत सरकार), पश्चिम बंगाल कोलकता-700048 से प्राप्त पत्र सं. सीआईओएसई/15/पीएल/894 दिनांक 15.6.2015 के अनुसार काउंसिल ऑफ इंडियन ओपन स्कूल एजुकेशन के छात्रों को विद्यापीठ में प्रवेश हेतु किये गए अनुरोध एवं मान्यता पर विचार ।

अध्यक्ष, काउंसिल ऑफ इंडियन ओपन स्कूल एजुकेशन (अधिनियम 1860 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्था, भारत सरकार), पश्चिम बंगाल, कोलकता-700048 के प्राप्त पत्र सं.सीआईओएसई/15/पीएल/894 दिनांक 15.6.2015 के अनुसार यह अनुरोध किया गया है कि काउंसिल ऑफ इंडियन ओपन स्कूल एजुकेशन में बारहवीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों को विद्यापीठ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए । इस संबंध में विद्वत् परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को विद्यापीठ में अन्य नियमों के परिप्रेक्ष्य में सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया ।

कार्यक्रम सं. ४.१४ सचिव-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र सं. एफ.1-7/2011(सीपीपी-II) दिनांक 13.8.2015 के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना को उच्च शिक्षा में एक चयनात्मक विषय के रूप में सम्मिलित करने पर विचार ।

कल्पना सिंह

रमेश

भारत सरकार के युवा मामले एवं क्रीड़ा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना को उच्च शिक्षा में एक चयनात्मक विषय के रूप में पढ़ाये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस पर विचार करने की संस्तुति के साथ यह आग्रह किया गया है कि इस विषय को वर्तमान शैक्षणिक सत्र से छात्रों के हितार्थ लागू किया जाए।मंत्रालय द्वारा प्रेषित राष्ट्रीय सेवा योजना के पाठ्यक्रम का नमूना चार सत्रों में विभक्त है जिसमें 6 प्रश्न-पत्र हैं । प्रत्येक प्रश्न-पत्र में सैद्धान्तिक भार - 60 अंकों का और प्रायोगिक/परियोजना कार्य - 40 अंकों का है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल अवधारणा, उसके विभिन्न कार्यक्रम एवं उसके कार्यकलाप, युवाओं की विभिन्न श्रेणियां, उनकी चुनौतियां और सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में युवाओं की भूमिका , श्रमदान, नेतृत्व, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण, युवा विकास कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली, सम्प्रेषण, अंत:विषयक संबंध, समस्या निदान एवं निर्णय निर्माण, नागरिकता, परिवार और समाज, स्वास्थ्य, स्वच्छता और युवा स्वास्थ्य और योग, पर्यावरण, व्यावसायिक कौशल विकास, संसाधनों का विकेन्द्रीकरण आदि विभिन्न बिन्दुओं को पाठ्यक्रम के नमूने में सम्मिलित किया गया है । आयोग द्वारा प्रेषित पत्र के अंतर्गत प्रदत्त निर्देशों को विद्वत् परिषद द्वारा स्वीकार करते हुए भारतीय शास्त्रीय परंपरा में राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार कर उसे लागू किया जा सकता है ।

विद्वत् परिषद के संज्ञान में यह लाया गया कि वर्तमान में विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा योजना का पृथक से कोई विभाग नहीं है और न ही कोई पद स्वीकृत है । इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा योजना को चयनात्मक विषय के रूप में सम्मिलित करने हेतु, एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया जाए कि वह राष्ट्रीय सेवा योजना पाठ्यक्रम के

कल्पना सिंह

रमेश

तहत पद, धनराशि एवं अन्य संसाधनों की स्वीकृति प्रदान करे ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से उक्त पाठ्यक्रम को शास्त्री कक्षा में क्रियान्वित किया जा सके ।

कार्यक्रम सं ४.१५ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्या एफ 16. 1/2008(**राजभाषा**) **दिनांक** 02 **जून,** 2015 **द्वारा अधिसूचित विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में पढ़ाये जाने से सम्बन्धित निर्णय की स्वीकृति।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्या एफ 16.1/2008 (राजभाषा) दिनांक 02 जून, 2015 के अन्तर्गत यह सूचित किया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 28.7.2011 को आयोजित केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों कोहिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों मुख्य विषय के रूप में पढ़ाये जायें। यह निर्देश शास्त्री विषयों के पाठ्यक्रम निर्माण समिति के समक्ष रखा गया था और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शास्त्री स्तर पर विद्यार्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों पढ़ाये जायेंगें। तद्नुरूप शास्त्री सम्मानित और शास्त्री सामान्य के पाठ्यक्रम बनाए गए हैं जिसे विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के विषय में विद्वत्परिषद की तृतीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में कुलपति महोदय के आदेशानुसार लागू किया जा चुका है। विद्वत्परिषद द्वारा कुलपति महोदय के उपरोक्त निर्णय की पुष्टि की गई ।

विद्यापीठ में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों कोहिन्दी एवं अंग्रेजी शैक्षणिक सत्र 2015-16 से पढ़ाये जाने की विद्वत्परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यक्रम सं. ४.१६ परीक्षा मण्डल के गठन से सम्बन्धित निर्णय और परीक्षा मण्डल की बैठक दिनांक 17.6.2015 **में लिए गए निर्णयों की पुष्टि ।**

कल्पना सिंह

रमेश

विद्वत्परिषद् की बैठक दिनांक 21.4.2015 में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रोफेसर चॉद किरण सलूजा, सदस्य-प्रबन्ध बोर्ड को परीक्षा मण्डल का अध्यक्ष नामित किया गया है । तदनन्तर कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 2.6.2015 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ आगामी दो वर्षो के लिए परीक्षा मण्डल का गठन किया गया है:-

1. प्रोफेसर चॉद किरण सलूजा	अध्यक्ष
2. प्रोफेसर रमेश प्रसाद पाठक	सदस्य
3. प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
4. प्रोफेसर मदन मोहन अग्रवाल	सदस्य
5. डा. गोपी रमण मिश्रा	सदस्य
6. कुलसचिव	सदस्य
7. प्रोफेसर प्रभारी-परीक्षा	सदस्य
8. सहायक कुलसचिव(परीक्षा)	सचिव

परीक्षामण्डल की बैठकदिनांक 17.6.2015 को आहूत की गई थी जिसमें शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्यावारिधि प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के परिणाम की स्वीकृति के साथ-साथ उन्हें घोषित करने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं । परीक्षा मण्डल द्वारा नए अंक पत्र के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसे प्रकाशित कर लागू किया जा चुका है। परीक्षा मण्डल के समस्त निर्णय यथावत लागू किए जा चुके हैं ।

परीक्षा मण्डल के गठन से संबंधित निर्णयों एवं परीक्षा मण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर विद्वत्परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम सं.४.१७ **शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्यावारिधि, प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमापाठ्यक्रमों की परीक्षाओं एवं पूरकपरीक्षा के निर्णय तथा परीक्षा परिणाम की स्वीकृति।**

कल्पना सिंह

रमेश

परीक्षामण्डल की बैठक दिनांक 17.6.2015 को आहूत की गई थी जिसमें शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्यावारिधि, प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के परिणाम की स्वीकृति के साथ-साथ उन्हें घोषित करने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं।

विद्वत्परिषद द्वारा शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्यावारिधि,प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के परिणाम की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम सं ४.१८ शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विशिष्टाचार्य, विद्यावारिधि, अंशकालिक प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की उपाधियों की स्वीकृति ।

वर्ष 2012-13 सेवर्ष 2014-15 की सत्रीय परीक्षाओं में सम्मिलित शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विशिष्टाचार्य, विद्यावारिधि, अंशकालिक प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्रों की परीक्षाओं के परिणाम की स्वीकृति के साथ-साथ परीक्षा परिणाम घोषित किये जा चुके हैं।

विद्वत्परिषद द्वारा समस्त उत्तीर्ण छात्रों को आगामी दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम सं. ४.१९ केन्द्रीय मूल्यांकन आदि कार्यों हेतु परीक्षकों की सूची की स्वीकृति।

विद्यापीठ में शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विशिष्टाचार्य, विद्यावारिधि, प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु विभिन्न विषयों के लिए विभागों से आमंत्रित बाह्य विषय विशेषज्ञों की नामावली को परीक्षकों के रूप में आमंत्रित करने के लिए विशेषज्ञों की सूची तैयार की गयी है जिसे विद्वत्परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

कल्पना सिंह

कुलपति महोदय आवश्यकतानुसार अन्य विद्वानों को आमंत्रित करने के लिए अधिकृत किये जाते हैं ।

कार्यक्रम सं. ४.२० शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विशिष्टाचार्य, विद्यावारिधि अंशकालिक प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं एवं पूरक परीक्षा के लिये नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सम्बन्ध में कुलपति के आदेश की पुष्टि ।

परीक्षा अनुभाग द्वारा शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विशिष्टाचार्य, विद्यावारिधि प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकों के मूल्यांकन के लिए कुलपति महोदय के आदेशानुसार विभिन्न बाह्य परीक्षकों को आमंत्रित किया गया था और परिणाम निर्धारित अवधि के पूर्व तैयार कर परीक्षा मण्डल की स्वीकृति के साथ घोषित किया गया था। विशिष्टाचार्य के छात्रों द्वारा प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को प्रति लघु शोध प्रबन्ध रुपया दो सौ, निष्क्रमण प्रमाण पत्र के लिए रुपया दो सौ शुल्क निर्धारण, बाह्य परीक्षकों के लिए रुपया एक हजार मानदेय प्रदान करने सम्बन्धी आदेश की पुष्टि की गई । बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति, प्रश्न पत्र निर्माण के लिए आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षा सम्बन्धी अन्य मामलों के संदर्भ में कुलपति महोदय के समय-समय पर प्रदत्त आदेशों को विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

कार्यक्रम सं. ४.२१ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय द्वारा प्राप्त विषयों पर विचार ।

1. विद्यापीठ द्वारा निर्गत होने वाली शिक्षाशास्त्र के शोधच्छात्रों को विद्यावारिधि की उपाधि में विषय का उल्लेख किया जाए । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विद्यावारिधि की उपाधि में शोधच्छात्र के शोध विषय(रिसर्च टॉपिक) का उल्लेख किया जाता है किन्तु संबंधित

कल्पना सिंह

रमेश

विषय/विभाग का उल्लेख नहीं होता । यदि विद्वत्परिषद स्वीकृति प्रदान करे तो प्रत्येक विषय में पंजीकृत शोध छात्रों को विद्यावारिधि की उपाधि प्रदान करते समय उनके विभाग का उल्लेख भी किया जा सकता है, यथा - विद्यावारिधि-शिक्षाशास्त्र, विद्यावारिधि-साहित्य इत्यादि ।

उक्त प्रस्ताव की विद्वत्परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और यह निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ द्वारा निर्गत की जाने वाली उपाधियों में छात्र के विषय/विभाग का भी उल्लेख किया जाए ।

2. छात्रों द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि शिक्षाशास्त्र में पंजीकृत शोधच्छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियिम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार षण्मासिक पाठ्यक्रम की पृथक् व्यवस्था की जाए । शोध एवं प्रकाशन विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा विद्यावारिधि एवं विशिष्टाचार्य के पाठ्यक्रमों के परिशोधन के समय यह संस्तुति की गई है कि शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि का पाठ्यक्रम बनाया जाए और उसे संबंधित संकाय द्वारा संचालित किया जाए । तदनुसार विद्यावारिधि के निर्धारित पाठ्यक्रम को विशिष्टाचार्य के पाठ्यक्रम में यथावत् समाहित करने की संस्तुति की गई है। शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा दिनांक 24.9.2015 को आहूत अध्ययन मण्डल की बैठक में भी इस पर चर्चा की गई और तदनुसार पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है । विद्वत्परिषद द्वारा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के परिशोधित पाठ्यक्रमों की पुष्टि की गई ।

2. विद्वत्परिषद द्वारा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय को विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि के शोधच्छात्रों को षणमासिक पाठ्यक्रम केस्वतंत्र रूप से संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कल्पना सिंह

रमेश

3. संकाय प्रमुख-आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि शिक्षाशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता को ही प्राथमिकता दी जाए । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया है, उसमें उत्तम शैक्षणिक योग्यता के साथ 55 प्रतिशत आचार्य/स्नातकोत्तर/समकक्ष उपाधि का उल्लेख है और संबंधित संस्थाओं को यह दायित्व दिया गया है कि संस्थाएं उत्तम शैक्षणिक योग्यता को परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र है । तदनुसार विद्यापीठ द्वारा नियुक्ति संबंधी उपनियम 2012 के अंतर्गत इसे परिभाषित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि सहायक आचार्य के लिए आवेदकों को हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक कम से कम 55 प्रतिशत अंक धारित करना होगा । इसी नियम के आलोक में नियुक्तियां की जा रही हैं । विद्वत्परिषद द्वारा इस नियम में शिथिलता की संस्तुति, यदि आवश्यक हो, प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ की जा सकती है ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में विद्वत्परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तम शैक्षणिक योग्यता से संबधित मामले को प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में यथोचित निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाए ।

कार्यक्रम सं. ४.२२ पन्द्रहवें दीक्षान्त समारोह में प्रदान की जाने वाली मानद उपाधियों के नामों की स्वीकृति ।

कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 5 अक्टूबर 2015 में लिए गए निर्णय के अनुसार आगामी पन्द्रहवें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर निम्नलिखित विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधियाँ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई :-

कल्पना सिंह

रमेश

महामहोपाध्याय

1. पं. वी गोपाल कृष्ण शास्त्री
2. पं. वशिष्ठ त्रिपाठी
3. पं. जयशंकर लाल त्रिपाठी
4. पं. मणिद्राविण
5. पं. देवदत्त पाटिल

वाचस्पति

1. प्रो. कृष्णकान्त चतुर्वेदी
2. प्रो. ब्रह्मचारी सुरेन्द्र कुमार
3. प्रो. विजीनाथन्
4. प्रो. विश्वनाथ भट्टाचार्य
5. प्रो. पी. के. मुखोपाध्याय

कार्यक्रम सं. ४.२३ विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्ययन मण्डलों की स्वीकृति पर विचार ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार आचार्य एवं विशिष्टाचार्य कक्षा का नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु

1. शोध एवं प्रकाशन विभाग
2. आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय और
3. ज्योतिष विभाग

के अध्ययन मण्डल की बैठकें संपन्न कर परिशोधित पाठ्यक्रमों को निर्मित किया गया है, जिसकी विद्वत्परिषद द्वारा पुष्टि करते हुए ज्योतिष विभाग के पाठ्यक्रम को गठित समिति के द्वारा तैयार मानक के अनुरूप संपादित कर लिया जाए । इसके अतिरिक्त विद्वत्परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिन विभागों द्वारा आचार्य एवं विशिष्टाचार्य के नवीन पाठ्यक्रम को

कल्पना सिंह

रमेश

तैयार नहीं किया गया है, वह विभाग अपने विभाग की अध्ययन मण्डल की बैठक को आहूत कर, शीघ्र ही नवीन पाठ्यक्रम को तैयार करें ।

नवीन पाठ्यक्रम को विभागों द्वारा तैयार करने से पूर्व संकाय प्रमुखों की मद सं. 4.2 के अंतर्गत प्रस्तावित समिति प्रारूप तय करेगी । तदुपरान्त विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठकें आहूत कर, पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जिन्हें मुद्रित करवाने से पूर्व, पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा सम्पादित कराया जाए । नवीन पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू किया जाएगा ।

कार्यक्रम सं 4.24 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के चयन हेतु चयन समितियों के विशेषज्ञों के नामों की स्वीकृति पर विचार ।

   शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के चयन हेतु चयन समितियों के विशेषज्ञों के नामों को विद्वत्परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त परियोजना ई.पी.जी.-संस्कृत पाठशाला के कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई और विद्वत्परिषद ने करतल ध्वनि से इस परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे क्रिया-कलाप की पुष्टि की ।

3. अध्यक्ष-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र एफ.1-1/2015(ए. एस-1)जीआईएएन/9 सितम्बर 2015 के अंतर्गत श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के कुलपति को यह सूचित किया गया है कि विद्यापीठ को 'शैक्षिक संजाल के लिए वैश्विक पहल'' परियोजना में एक सहभागी आयोजक के रूप में चिन्हित किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत प्रदत्त प्रारूप पर एक अंतर्राष्ट्रीय विद्वान को एक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आनलाइन प्रस्ताव की मांग की गई है । साथ ही कुलपति महोदय से यह अनुरोध किया गया है कि शैक्षणिक संजाल के लिए वैश्विक पहल परियोजना के अंतर्गत कार्य करने के

कल्पना सिंह

रमेश

लिए विदेशी विशेषज्ञों की पहचान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और इस प्रक्रिया के लिए नियत निर्देशिका के अनुरूप विशेष कार्यक्रम बनाकर उन्हें आमंत्रित किया जाए। साथ ही साथ उनके द्वारा प्रदत्त संभाषणों को वेबसाइट के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रयुक्त किया जाए । इस संबंध में संस्था के लिए एक स्थानीय संयोजक को भी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में विद्वत्परिषद द्वारा विस्तारपूर्वक चर्चा की गई । कुलपति महोदय ने यह बताया कि यह परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ एक विशेष कार्यक्रम है जिससे उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके । इस संबंध में प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विद्यापीठ को प्राप्त हुआ है । इस परियोजना में विद्यापीठ को आयोजक विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय के रूप में चिन्हित किया जाना, विद्यापीठ के लिए एक गौरव की बात है । इस परियोजना के लिए विद्यापीठ का चयन करने के संबंध में प्रो. युगल किशोर मिश्र द्वारा विद्यापीठ को बधाई दी गई और समस्त सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया गया ।

उक्त परियोजना को विद्यापीठ में लागू करने के संबंध में कुलपति द्वारा सुझाव दिया गया कि इस परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए जो इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी । समिति परियोजना के संचालन हेतु कम से कम तीन नामों का सुझाव प्रस्तुत करेगी । समिति द्वारा संस्तुत एवं कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संयोजक के विषय का वांछित विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त सचिव को अग्रिम कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए ।

विद्वत्परिषद द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति गठित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया और परियोजना से संबंधित मापदण्ड के अनुरूप संचालित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई ।

कल्पना सिंह

रमेश/

3. संयुक्त सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ. 4-18/2015-एलसीसी दिनांक 15.9.2015 के माध्यम से यह सूचित किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए ''केन्द्रीय क्लाउंड एवं डाटा सेंटर'' की स्थापना 20 सर्वोत्कृष्ट संस्थाओं में की जा रही है जो 'SWAYAM' (स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फार यंग एस्पायरिंग माइण्डस) का प्रयोग करते हुए 'MOOCs' (मैसिव ओपन आनलाइन कोर्सेस) के निर्माण की देखरेख करेंगे । साथ ही साथ 'MOOCs' के लिए ई-कंटेट के सृजन एवं संकल्पना के लिए विषय-विशेषज्ञों के पहचान की आवश्यकता पर भी बल दिया है । इस संबंध में उंनका अनुरोध है कि विद्यापीठ उपयुक्त संकाय सदस्यों और उनके संबंधित विषयों/क्षेत्रों का पता लगाए तथा संयुक्त सचिव को निर्धारित प्रपत्र में यथाशीघ्र सूचित करे ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में विद्वत्परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उक्त पत्र के अनुपालन में वेबसाइट पर व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने से संबंधित रूपरेखा तैयार करने हेतु अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों से संबंधित सूचना तैयार करने हेतु समस्त संकाय प्रमुखों की समिति गठित की जा सकती है ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मांगी गई सूचना शीघ्रातिशीघ्र निर्धारित प्रपत्र पर, मंत्रालय को प्रेषित की जा सके । इस संबंध में मंत्रालय से प्राप्त होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही हेतु विद्वत्परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

4. प्रो. शुकदेव भोई, साहित्य विभागाध्यक्ष द्वारा दिनांक 24.9.2015 के पत्र द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्ताव विद्वत् परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए गए हैं:-

1. साहित्य विभाग में अध्यापकों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए । विभाग में अध्यापक की कमी के कारण अध्ययन-अध्यापन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ।

कल्पना सिंह

रमेश

2. विद्यापींठ प्रशासन के द्वारा निर्गत पत्र सं. LBSV/Admn./2013-14/788 Dated 3-7-2013 के पत्रांक द्वारा स्थापित नाट्य शास्त्र विभाग जो साहित्य विभाग के अंतर्गत अंतर्विभाग (Interdisciplinary Department) के रूप में स्थापित किया गया है, उसमें अध्ययन-अध्यापन एवं अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया करने हेतु अनुरोध किया गया ।

3. विद्यापीठ में साहित्य विभागों में साहित्य विभाग छात्र संख्या की दृष्टि से बृहत्तर विभाग है । इस विभाग में शास्त्री प्रथम वर्ष से लेकर विद्यावारधिकक्षापर्यन्त छात्रों की संख्या 260 है । अत: विभाग के सुचारू संचालमार्थ एवं विभागीय गतिविधियों के संरक्षण हेतु एक सहायक कर्मचारी एवं एक एमटीएस स्टाफ की नितान्त आवश्यकता है । अत: दो स्टॉफ की उपलब्धतता हेतु अनुरोध ।

4. साहित्याचार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में छात्रों की संख्या 40 के करीब होने के कारण दो बड़े प्रकोष्ठ की आवश्यकता है । साहित्य विभाग को कक्षा अध्यापन हेतु अनुरोध

उक्त दोनों प्रस्तावों के संबंध में विद्वत्परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रो. शुकदेव भोई, विभागाध्यक्ष-साहित्य विभाग द्वारा प्रेषित समस्त प्रस्ताव, पूर्णतः प्रशासनिक हैं। अतः उक्त पर विचार नहीं किया जा सकता । विद्वत परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विद्वत परिषद के निर्धारित अधिकार क्षेत्र के अनुरूप ही प्रस्तावों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5 श्रीमती मंजुला जारोलिया, ब्लॉक नं.-जी, मकान नं.जी/6/1, द्वितीय तल, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017 ने अपने पत्र दिनांक 29.9.2015 के द्वारा कुलपति महोदय से यह अनुरोध किया गया हे कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली में विद्यावारिधि सत्रीय पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाए । इस संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 द्वारा विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने हेतु निर्धारित मानकों के क्रम सं

कल्पना सिंह

रमेश

13 के अनुपालन हेतु शोधच्छात्र को विद्यावारिधि पाठ्यक्रम के लिए छ:माही सत्रीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना आवश्यक है ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में विद्वत्परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती मंजुला जारोलिया द्वारा विद्यावारिधि सत्रीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन पत्र अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रेषित नहीं किया गया है, अत: छात्रा को नियमानुसार आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए और संबंधित विश्वविद्यालय की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त छात्रा के आवेदन पत्र की समीक्षा हेतु संकाय प्रमुखो की एक बैठक आयोजित की जाए जो छात्रा के आवेदन पत्र से संबंधित समस्त पहलुओं का आकलन करेगी । तत्पश्चात नियमानुसार ही अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

6. डॉ.सदन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर- शिक्षाशास्त्र एवं सम्पर्क अधिकारी-अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठद्वारा कुलपति महोदय को दिनांक 28.9.2015 को पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें कि डॉ. सदन सिंह द्वारा कुछ निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है :-

1. विद्यापीठ में कोई भी प्रस्ताव/नियम/सूचना/अधिसूचना/ज्ञापन तथा मिनिट्स की भाषा हिन्दी या संस्कृत तथा अंग्रेजी हो, जिससे विद्यापीठ के सभी सदस्यों, छात्रों एवं जनसामान्य के समझ में आ सके । उक्त गतिविधियां अंग्रेजी में ही लिखी जाने से आम लोगों तक सही सूचना सम्प्रेषित नहीं हो पाती है ।

2. अधिसूचना सं.एलबीएसवी/38/आरईजी/बॉयलॉज़/2012/564 दिनांक 16.10.2012 के आर.आर. नियम के 36 के उपखण्ड 24 को संशोधित नियुक्तियों में आवेदन करने हेतु अर्हता निर्धारण, पद के अनुरूप तत्सम्बद्ध प्राधिकृत संस्था विशेषकर यू.जी.सी/एन.सी.टी.ई./एस.एस.सी के अनुरूप ही रखा जाए ।

कल्पना सिंह

रमेश

3. प्रदान की जाने वाली उपाधियां विशेषकर विद्यावारिधि (पीएच.डी) में विषय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए जिससे छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के समय प्रदर्शित करते समय दिक्कत न हो ।

4. अनु.जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों की सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति के समय यू.जी.सी/एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार उनकी अर्हता निर्धारित की जाए । विद्यापीठीय गुड एकेडमिक रिकार्ड के लिए उन्हें बाधित न किया जाए ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में विद्वत्परिषद में यह निर्णय लिया गया कि डॉ. सदन सिंह, सम्पर्क अधिकारी- अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत जिन प्रस्तावों की प्रकृति पूर्णतः प्रशासनिक है, उनपर यहाँ विचार नहीं किया जा सकता और जो प्रस्ताव शैक्षणिक प्रकृति के हैं यथा क्रम संख्या ३ (विद्यावारिधि के विषय में) को स्वीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विद्वत परिषद द्वारा

1. डॉ. बिष्णुपद महापात्र को **'राष्ट्रपति पुरस्कार'** से सम्मानित किए जाने पर करतल ध्वनि से बधाई दी गई ।

2. डॉ. भागीरथि नन्द को **'संस्कृत भूषण'** से सम्मानित किए जाने पर करतल ध्वनि से बधाई दी गई ।

कुलपति महोदय ने यह घोषणा की कि 15वें दीक्षान्त समारोह के आगमन से पूर्व विद्वत्परिषद की एक बैठक बुलाई जा सकती है । विद्वत्परिषद की चतुर्थ बैठक शांतिपाठ एवं अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ संपन्न हुई ।

कल्पना सिंह
सचिव

रमेश कुमार पाण्डेय
अध्यक्ष